HRA AN ASUST The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1770]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2010/भाद्र 4, 1932

No. 1770] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2010/BHADRA 4, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2010

का.आ. 2087(अ).—केन्द्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 7 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 4 के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1334 (अ), दिनांक 7 जून, 2010 में निम्निलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक (ख) नियोजकों के प्रतिनिधि के अंतर्गत, एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम) से संबंधित उप-शीर्षक (छ) के अंतर्गत, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"8 सुश्री इंदु वधवा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एच.आर.) जी4एस सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि. पंचवटी, 82-ए, सैक्टर 18 गुडुगाँव-122 016"

[फा. सं. एस-32022/1/2009-डब्ल्यू.सी.]

डॉ. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2010

S.O. 2087(E).—In exercise of the powers conferred under Section 7 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with Section 9 of the said Act, and rule 4 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment Number S.O. 1334(E), dated the 7th June, 2010, namely:—

In the said notification, under the heading B. Employers' Representatives, under sub-heading (g) relating to the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"8 Ms Indu Wadhwa

Senior Vice President (HR)

G4S Security Services (India) Pvt. Ltd.

Panchwati, 82-A, Sector 18

Gurgaon-122 016"

[F. No. S - 32022/1/2009 - WC]

Dr. HARCHARAN SINGH, Dy. Director General

3367 GI/2010